प्रेषक,

अतर सिंह
उप सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा मे,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक : 10 मार्च 2005

विषयः जनपद टिहरी गढवाल सैंजी मे टी0 एस0 पी0 योजना के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–15351/नि0–1/2004 –05 दिनांक 29.1.2005 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय इस वित्तीय वर्ष 2004–05 मे जनपद टिहरी गढवाल, सैंजी मे टी0 एस0 पी0 योजना के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु टी0 ए0 सी0 द्वारा अनुमोदित आगणन कुल रू0 9.30 (रू0 नौ लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सैंजी टिहरी गढवाल हेतु चालू वित्तीय वर्ष मे रू0 5.94 लाख (कुल रू0 पांच लाख चौरानवे हजार मात्र) के व्यय की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:–

2– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत अनुमोदित दरों को जो दो शिड्यूल आंफ रेट मे स्वीकृत नही हैं , अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा एवं स्वीकृति मानक से अधिक किसी भी दशा में न होगी।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी , बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितने की स्वीकृति मानक हैं स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखने एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8– आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिगं करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली समाग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9– कार्य कराते समय उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अधिशासी अभियन्ता टिहरी के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ऐजेन्सी का होगा।

10– उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पूजीगत परिव्यय –02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –800अन्य व्यय–91 जिला योजना 9101–राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों के आवासीय /अनावासीय भवनों का निर्माण –24 बृहत निर्माण कार्य की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0 1520 /वित्त अनुभाग–2/2005 दिनांक 2.3. 2005 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अतर सिह)
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– कोषाधिकारी टिहरी।
4– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
5– गार्ड फाईल ।
6– उत्तरांचल पेयजल निगम, यूनिट – 3, ऋषिकेश।

आज्ञा से,

(अतर सिह)
उप सचिव